उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड जैवविविधता बोर्ड
UTTARAKHAND BIODIVERSITY BOARD

ई–मेल : sbbuttarakhand@gmail.com
वेबसाइट : www.sbb.uk.gov.in
423, इन्दिरा नगर कॉलोनी (निकट मलिक चौक),
देहरादून–248006 (टेलीफैक्स - 0135-2769886)

पत्रांक 172 /उ०जै०वि०बो०–16–3 दिनांक 01, अक्टूबर, 2024

सेवा में,

1 मुख्य वन संरक्षक,
एन०टी०एफ०पी०, उत्तराखण्ड, देहरादून
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा नामित।
(पदेन सदस्य,उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड)

2 निदेशक,
पशुपालन विभाग,
पशुधन भवन, मोथरोंवाला, उत्तराखण्ड देहरादून
(पदेन सदस्य, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड)।

3 निदेशक,
कृषि विभाग,
नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून
(पदेन सदस्य, उत्तराखण्ड, जैव विविधता बोर्ड)।

4 निदेशक,
जनजाति कल्याण विभाग,
शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला,
पोस्ट डालनवाला, देहरादून
(पदेन सदस्य उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड)

5 निदेशक,
जड़ी–बूटी शोध संस्थान, गोपेश्वर चमोली।
(विशेषज्ञ सदस्य, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड)।

6 निदेशक
भारतीय वन्य जीव संस्थान, चन्द्रबनी, देहरादून
(विशेषज्ञ सदस्य, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड)।

7 निदेशक,
गो.बी. पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत् विकास संस्थान, कोसी कटारमल, अल्मोडा, द्वारा नामित प्रतिनिधि
(विशेषज्ञ सदस्य, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड)।

8 निदेशक,
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, कौलागढ़ रोड, देहरादून
(विशेषज्ञ सदस्य, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड)।

विषयः उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की तेईसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.09.2024 का कार्यवृत्त ।

महोदय,

दिनांक 30.09.2024 को उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून की तेईसवीं (23rd) बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न – यथोपरि (कार्यवृत्त की प्रति)।

भवदीय,

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।

K.T.O.

पत्रांकः 172 /16–3 (बोर्ड बैठक) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक अनुसंधान संस्थान (एफ०आर०आई०), न्यू फॉरेस्ट, देहरादून।
2. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, चौबटिया रानीखेत, अल्मोडा।
3. निदेशक, मत्स्य पालन, बडासी ग्रान्ट, धन्याड़ी, रायपुर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. विभागाध्यक्ष, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, 292, कौलागढ़ रोड, देहरादून

संलग्न – यथोपरि (कार्यवृत्त की प्रति)।

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।

पत्रांकः 172 /16–3 (बोर्ड बैठक) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न – यथोपरि (कार्यवृत्त की प्रति)।

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।

पत्रांकः 172 /16–3 (बोर्ड बैठक) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को संज्ञानार्थ प्रेषित।

संलग्न – यथोपरि (कार्यवृत्त की प्रति)।

01.10.24

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून की तेईसवीं (23rd) बैठक दिनांक 30 सितम्बर, 2024 का कार्यवृत्तः–

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की तेईसवीं (23rd) बैठक डॉ० विजय कुमार, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.2024 को बोर्ड कार्यालय, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यगणों की सूची अनुलग्न है **(संलग्नक–1)**

इस कार्यालय के पत्रांक 134/उ०जै०वि०बो०–16–3 दिनांक 13.09.2024 द्वारा बोर्ड की 23वीं बोर्ड बैठक आहुत की गयी थी। बोर्ड में एजेण्डा के अनुसार विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

ऐजेण्डा नं०–1:– उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड कार्यालय में नये अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव का बोर्ड के सम्मानित सदस्यों के साथ परिचय।

अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव द्वारा बोर्ड के सदस्यों के साथ परिचय किया गया।

ऐजेण्डा नं०–2:– दिनांक 01.09.2023 को 22वीं बोर्ड बैठक में निम्न प्रकरणों पर लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या पर चर्चा।

22वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से बोर्ड को निम्नानुसार अवगत कराया गया :–

प्रकरण	बोर्ड की 22वीं बैठक में लिये गये निर्णय	अनुपालन आख्या
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा	सदस्यों द्वारा 05 सुझाव दिये गये जिन्हें समाहित करते हुये संगठनात्मक ढांचे को अनुमोदित किया गया।	सुझावों का समावेश करते हुये संगठनात्मक ढांचे को शासन को प्रेषित किया गया। इस कार्यालय के पत्रांकः 187/उ०जै० वि०बो०–1–1 दिनांक 04.10.2023 को शासन को पत्र प्रेषित किया गया। बोर्ड के सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2024 को बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे से सम्बन्धित बैठक उत्तराखण्ड शासन में आयोजित की गयी थी, जिसमें अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।
उत्तराखण्ड जैव विविधता नियमावली, 2015 में संशोधन के सम्बन्ध में।	बोर्ड के सदस्यों द्वारा Biodiversity (Amendment Act), 2023 में हुए संशोधन के आधार पर उत्तराखण्ड जैव विविधता नियम, 2015 में भी संशोधन किया जाना अपेक्षित है।	भारत सरकार द्वारा संशोधित जैव विविधता अधिनियम से सम्बन्धित नियम अभी अधिसूचित नहीं किये गये हैं। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से उक्त नियमों के अधिसूचित होने के पश्चात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी उत्तराखण्ड जैव विविधता नियम, 2015 में आवश्यक संशोधन करवाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही बोर्ड के स्तर से की जायेगी।

Access and Benefit Sharing- के मद में प्राप्त धनराशि बी०एम०सी० को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	बोर्ड के सदस्यों द्वारा ए०बी०एस० धनराशि के वितरण के संबंध में अन्य राज्यों की SoP के अध्ययन किया जाये तथा उत्तराखण्ड राज्य के लिये एक SoP तैयार की जाये।	भारत सरकार द्वारा संशोधित राष्ट्रीय जैव विविधता नियम अभी अधिसूचित नहीं हुये हैं। भारत सरकार से अधिसूचना जारी होने के उपरान्त ही SoP तैयार करने की कार्यवाही की जा सकेगी। ए०बी०एस० की धनराशि काफी समय से बोर्ड के पास लम्बित होने के कारण जैव विविधता अधिनियम, 2002 (यथासंशोधित) के आर्टिकल–32(2)(d) के नवीन संशोधन के अनुसार उन बी०एम०सी० को जिनमें उक्त Biological produce पाया जाता है, ए०बी०एस० की धनराशि अवमुक्त करने के निर्णय पर बोर्ड के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की एवं एन०बी०ए० से नियम अधिसूचित होने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श उपरान्त, अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को अधिकृत किया।
विश्व प्रसिद्ध देहरादूनी बासमती पर हुये अध्ययन की अन्तिम रिपोर्ट के सम्बन्ध में।	बोर्ड के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त अध्ययन रिपोर्ट को अन्य सम्बन्धित विभागों तथा संस्थाओं को प्रेषित की जाये।	बोर्ड की पिछली बैठक के सुझावों के क्रम में दिनांक 19.01.2024 को जलागम प्रबन्ध निदेशालय के कान्फ्रैन्स हॉल में एक कार्यशाला आयोजित की गयी जिसमें सम्बन्धित विभागों तथा संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया एवं अध्ययन रिपोर्ट को उनसे साझा किया गया। देहरादून बासमती की अध्ययन रिपोर्ट शासन को भी प्रेषित की गयी। इस कार्यालय के पत्रांकः 733/उ०जै० वि०बो०–72(6) दिनांक 03.05.2024 द्वारा बासमती धान के सरंक्षण हेतु बासमती टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बासमती टॉस्क फोर्स की बैठक आगामी माहों में आयोजित कर ली जाये जिसमें इस बिन्दु पर भी विचार किया जाये कि देहरादून जनपद में बासमती के कुल रोपित क्षेत्र में किस प्रकार से बढोत्तरी की जा सकती है। तथा बासमती बोने वाले किसानों को किस तरह से बासमती बोने हेतु प्रेरित किया जा सकता है।

ऐजेण्डा नं०–3:– <u>भारत सरकार द्वारा दिनांक 03.08.2023 को जैव विविधता अधिनियम, 2002 में हुये संशोधन जो दिनांक 01.04.2024 से लागू हुआ है, के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के साथ विचार–विमर्श करना।</u>

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा पी०पी०टी० प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संशोधित जैव विविधता

अधिनियम, 2002 में हुये समस्त संशोधनों से बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया।

ऐजेण्डा नं०–4:– 2024–25 में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को उत्तराखण्ड शासन के स्तर से प्राप्त बजट/अनुदान तथा उसके व्यय की स्थिति से बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराना:–

क्र०सं०	मानक मद	Opening Balance 01 April, 2024 (लाख में)	वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग द्वारा प्राप्त धनराशि (लाख में)	कुल धनराशि (लाख में)	31 अगस्त, 2024 तक व्यय धनराशि (लाख में)	शेष धनराशि (लाख में)
1	56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	84.36	100.00	184.36	53.62	130.74
2	08–पारिश्रमिक	–	25.00	25.00	–	25.00
3	27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	–	25.00	25.00	–	25.00
	योग		**150.00**	**234.40**	**53.62**	**180.74**

बोर्ड के समस्त उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से बजट/अनुदान से हुये व्यय का अनुमोदन किया गया।

ऐजेण्डा नं०–5:– Access and Benefit Sharing (ए०बी०एस०) के अन्तर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एन०बी०ए०) से प्राप्त धनराशि तथा बोर्ड कार्यालय में विभिन्न औद्योगिक इकाईयों से प्राप्त धनराशि को संशोधित जैव विविधता अधिनियम, 2002 के नियमानुसार व्यय करने हेतु बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।

क्र० सं०	प्राप्त धनराशि का श्रोत	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रशासनिक व्यय हेतु	अवशेष धनराशि लाख में दिनांक 17.09.2024 तक [3-(4+5)]	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेंन्नई	63.18	1.53	1.02	60.63	
		1.53	.	.	1.53	

Total		64.71	1.53	1.02	62.16	
1.	औद्योगिक इकाईयां (ABS+fees)	1224.24	111.85	15.78	1096.61	प्रशासनिक व्यय हेतु (5% + fees)
				Grand Total	**1158.77**	

बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), चेन्नई से ए०बी०एस० के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गयी कुल धनराशि ₹64.71 लाख के सापेक्ष अवशेष ₹62.16 लाख (प्रशासनिक व्यय के अतिरिक्त) की धनराशि को व्यय करने हेतु राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा 02.08.2024 को VC के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त जिसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अपनी ई–मेल दिनांक 27.08.2024 द्वारा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को प्रेषित किया गया है, में यह उल्लेख है कि ''It was informed by the NBA that where the ABS money meant for SBB, the same may be used for the activities envisaged under section 32(2) of the Act'' राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा निर्गत उक्त निर्देश तथा उतराखण्ड जैव विविधता अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित, 2023) की धारा–32(2)(d) के अनुसार ''..... Provided that when it is not possible to identify the area from where the biological resources or associated knowledge have been accessed, the fund shall be utilized for socio-economic development of the area where such biological resources occur;

उपरोक्त के आलोक में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संशोधित जैव विविधता अधिनियम, 2002 के पैरा 32(2)(d) में हुये नवीन संशोधन के अनुसार बी०एम०सी० में Socio-economic Development तथा अन्य कार्य जो संशोधित अधिनियम में अनुमन्य हैं, में व्यय हेतु बी०एम०सी० को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से प्राप्त धनराशि तथा ए०बी०एस० मद में बोर्ड के पास जमा धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की एवं एन०बी०ए० से नियम अधिसूचित होने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श उपरान्त, अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को अधिकृत किया।

बोर्ड के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि औद्योगिक इकाईयों से वर्तमान तक प्राप्त ए०बी०एस० की धनराशि को वितरित करने हेतु प्रथम चरण में प्रत्येक जनपद से न्यूनतम दो एवं अधिकतम पांच सक्रिय बी०एम०सी० का चयन अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा कर लिया जाये। प्रथम चरण में किसी भी चयनित बी०एम०सी० को ₹2.5 लाख की सीमा तक धनराशि बोर्ड द्वारा ए०बी०एस० मद से उपलब्ध कराये जाने पर विचार कर लिया जाये। ₹2.5 लाख की यह सीमा एन०बी०ए० से प्राप्त धनराशि पर लागू नहीं होगी।

ऐजेण्डा नं०–6:– <u>बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखाओं की तुलन पत्र (Balance Sheet) एवं लेखा परीक्षण (Audit) रिपोर्ट बोर्ड के संज्ञानार्थ</u>:–

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून का वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखाओं की तुलन पत्र (Balance Sheet) एवं लेखा परीक्षण (Audit) रिपोर्ट बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

ऐजेण्डा नं०–7:– **बोर्ड कार्यालय में वर्तमान में लेखा की बैलेंस सीट व लेखापरीक्षण (Audit) हेतु Auditor का बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना:–**

चूंकि वर्तमान में कार्यरत CA Firm को बोर्ड के लेखा का ऑडिट करते हुये 05 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है। अतः CAG द्वारा जारी गाईडलाईन्स के अनुरूप किसी नये CA Firm जो कि CAG की वैबसाईट पर उपस्थित जिला देहरादून हेतु Empanelled CA Firm की सूची में से किसी CA Firm का आगामी वित्तीय वर्ष हेतु नियमानुसार चयन अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा कर लिया जाये।

ऐजेण्डा नं०–8:– (i) **अधिसूचना हेतु शासन को प्रेषित थलकेदार जैव विविधता विरासत स्थल (बी०एच०एस०) के प्रस्ताव के बारे में बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराना।**

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा बोर्ड के सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि इस कार्यालय के पत्रांकः 716/उ०जै०वि०बो०–16–3 (2) दिनांक 02.05.2024 द्वारा थलकेदार (पिथौरागढ) जैव विविधता विरासत स्थल (बी०एच०एस०) के प्रस्ताव को अधिसूचित करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर समयक विचारोपरान्त बोर्ड के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ii) **देवलसारी बी०एच०एस० के प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराना।**

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा बोर्ड के समस्त सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा टिहरी जनपद के देवलसारी को बी०एच०एस० के रूप में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी से भी पत्राचार किया जा रहा है। उक्त प्रस्ताव पूर्ण होने के पश्चात उक्त प्रस्ताव को उत्तराखण्ड शासन को देवलसारी बीएचएस की अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये जाने का बोर्ड के समस्त उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

ऐजेण्डा नं०–9:– अन्य विचारणीय बिन्दु।

○ शासन के पत्रांकः I/232184/2024 दिनांक 09.08.2024 द्वारा निम्न बिन्दुओं पर सूचना/सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है:–

❖ प्रस्तावित 'हर्बल मिशन' परियोजना के क्रियान्वयन हेतु बजट व्यवस्था किस स्रोत से की जायेगी।

संशोधित जैव विविधता अधिनियम, 2002 के पैरा 32(2) के अनुसार ए०बी०एस० की धनराशि को बी०एम०सी० के माध्यम से Socio-economic Development आदि कार्यों हेतु ही व्यय किया जा सकता है।

उपरोक्त के आलोक में बोर्ड के समस्त उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हर्बल मिशन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु बजट की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा ही बजट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध प्रेषित किया जाये।

❖ प्रस्तावित हर्बल मिशन के Monitoring Structure में पर्यावरण विभाग से किसी अधिकारी को नामित न कर, वन विभाग के Chief Conservator of Forest-NTFP को सम्मिलित किया गया है, तो क्यों न उक्त परियोजना को वन विभाग के स्तर पर ही कार्यान्वित कर लिया जाये?

बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि उक्त परियोजना को वन विभाग के स्तर से क्रियान्वित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया जाये। जहां तक प्रश्न मुख्य वन संरक्षक, एनटीएफपी के स्थान पर पर्यावरण विभाग के किसी अधिकारी को सम्मिलित करने का है। उक्त के सम्बन्ध में बोर्ड का यह मत है कि शासन अपने स्तर से उक्त दोनों में से जिस भी अधिकारी को उचित समझे Monitoring Structure में नामित कर सकती है एवं क्रियान्वयन किये जाने के संबंध में बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त यह भी मत व्यक्त किया कि वन विभाग के अंतर्गत अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, हल्द्वानी जिनके दायित्वों में वन संवर्धन, प्रबन्धन एवं अनुसंधान निहित हैं तथा पी०बी०आर० संबंधी linkeges भी हैं, शामिल करना समीचीन होगा।

○ सांपों के विष विदोहन का लाईसेंस जारी किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय –

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पत्रांकः 1498/37–1 दिनांक 26.09.2024 के क्रम में सांपों के विष विदोहन का लाईसेंस जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ।

बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को बोर्ड की Wild faunal Diversity समिति के सम्मुख रखा जाये तथा उस समिति में यदि WII का कोई सदस्य नहीं हो तो WII के प्रतिनिधि को विशेष आमंत्री के रूप में अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाये। समिति द्वारा जो रिपोर्ट उपलब्ध कराई जायेगी उस रिपोर्ट को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।

ऐजेण्डा नं०–10:–अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये:–

1. बोर्ड कार्यालय में विभिन्न गठित समितियों को ACTIVE किया जाये तथा सभी समितियों की समय–समय पर बैठक आयोजित करने के प्रयास किये जायें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त ऑनलाईन तथा व्यक्तिशः रूप से उपस्थित प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

01/10/2024

(डा० विजय कुमार)
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून

01.10.24

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
सदस्य–सचिव
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून

संलग्नक–1

बैठक में उपस्थित सदस्यगणों की सूची

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	बैठक में प्रतिभाग करने का माध्यम
1.	श्री राहुल	मुख्य वन संरक्षक, एन०टी०एफ०पी०, देहरादून	व्यक्तिगत रूप से उपस्थित
2.	डा० बी०एस० अधिकारी–वैज्ञानिक–जी	भारतीय वन्य जीव संस्थान, चन्द्रबनी, देहरादून	व्यक्तिगत रूप से उपस्थित
3.	प्रियंका सिंह	सहायक निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड	व्यक्तिगत रूप से उपस्थित
4.	डा० जगमोहन सिंह असवाल	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	व्यक्तिगत रूप से उपस्थित
5.	श्री खिलानन्द कनवाल,	प्रतिनिधि निदेशक, जी.बी. पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत् विकास संस्थान, कोसी कटारमल, अल्मोडा	वर्चुअल
6.	श्री सी०पी० कुनियाल	निदेशक/प्रतिनिधि, जडी–बूटी शोध संस्थान, गोपेश्वर, चमोली	वर्चुअल
7.	डा० डी०एस० बिष्ट		
8.	श्री नीतीश मणि त्रिपाठी	सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून	व्यक्तिगत रूप से उपस्थित